न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 181/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
बलदेवराम पुत्र बंशाराम जाति जाट निवासी भाकरोद तहसील व जिला नागौर।		तहसीलदार नागौर।

उपस्थिति :–
1. श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक: 04 - 12 - 19

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 320/2017 सरकार बनाम बलदेवराम में निर्णय दिनांक 22.09.17 के तहत मौजा भाकरोद के खसरा नं. 173 रकबा 1 बीघा गै.मु. मगरा भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 13.07.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 24.07.18 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार नागौर के प्रकरण सं. 320/17 सरकार बनाम बलदेव के फर्द अहकाम दिनांक 5.9.17 से 22.9.17 की फोटोप्रति, निर्णय दिनांक 22.09.17 की फोटोप्रति तथा रसीद दिनांक 15.3.18 की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय मे पेशी दिनांक 20.09.17 जवाब हेतु बतायी। अपीलांट दिनांक 20.09.17 को जवाब पेश करने गया तो उसे कहा गया कि आज कोई पेशी नही है बाद मे पेशी का नोटिस भेज देगे और अपीलांट को ऐसा कह कर गांव भेज दिया तत्पश्चात अपीलांट को सूचित किये बिना पेशी दिनांक 22.09.17 को मनमर्जी से रख कर उस दिन अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित कर दिया जिसकी कोई जानकारी अपीलांट को नही हो सकी। हाल ही मे पटवारी बेदखली के लिये मौके पर आया व अपीलांट के विरूद्व बेदखली व जुर्माने का निर्णय तहसील कार्यालय से होने की जानकारी दी तब उसी दिन दिनांक 9.7.18 को तहसील कार्यालय मे जाकर पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने हेतु नकल का आवेदन पेश किया व उसी दिन प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर सांय तक नागौर आकर अधिवक्ता नियुक्त कर अपील तैयार करवायी व बिना किसी देरी के आज दिनांक 10.07.18 को अपील पेशी की। जिससे न्याय हित मे देरी माफ कर तारीख जानकारी से अंदर मियाद शुमार करना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील कतेई गलत, विधि विरूद्व, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित किया होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(II)–प्रकरण हाजा में शुरू से ही पटवारी की नियत येन केन प्रकारेण अपीलांट से अदावती रखने वाले लोगो की सिखावट के कारण अपीलांट को सुनवाई से वंचित रख कर उसकी पीठ पीछे उसकी पीढियो पुरानी कब्जासुद हक अधिकार की जमीन से बेदखल करवाने की रही है इसी कारण प्रथम आदेशिका मे जो आगामी तारीख पेशी का कॉलम है उसमे कॉट छॉट है, दूसरी पेशी मे जवाब हेतु समय दिया जाकर पेशी

अपर कलक्टर, नागौर

20.09.17 को एक बार अंकित करवा दी व अपीलांट को बता दी बाद मे 20 को 22 कर दिया जिससे तारीख 20.09.17 को अपीलांट उपस्थित होने के बावजूद पेशी नही होना बताकर जवाब व साक्ष्य सबूत नही लिया व आगामी पेशी 22.09.17 नियत करना भी नही बताया व मनमर्जी से 22.09.17 को विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना निर्णय जैर अपील पारित करवा कर अपीलांट के विधिक अधिकारो पर भारी कुठाराघात किया है व विधि विरूद्व निर्णय पारित करवाया है जबकि तहसीलदार ने अपने स्तर पर कोई जांच नही की है। इन परिस्थितियो मे निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर मौखिक रूप से यह निवेदन किया कि पटवारी की रिपोर्ट गलत है। अप्रार्थी नले गै.मु. मगराना पर कोई नया कब्जा नही किया है यह भूमि पीढियो से उसकी कब्जासुद उपयोग उपभोग की रही है इसके चारो तरफ अन्य लोगो के रहवासी मकान, पशुओ के बाडे बने हुए है अपीलांट की भी पक्की साल, पशुओ के चारा फुस का टीनशेड व बाडा बना हुआ है अपीलांट परिवार सहित यहां पर पुराने समय से रहता चला आया है पुराने समय की टीपी कटी हुई है ऐसी स्थिति मे पटवारी द्वारा संवत 2074 मे कब्जा करने की जो रिपोर्ट पेश की है सरासर गलत है आस पासे अनेको मकान व बाडे है इस प्रकार यहां के निवासियो के आधिपत्य की भूमि है तथा एडवर्स पजैशन के कानून के अनुसार भी अपीलांट इस भूमि पर अपनी रहवासी मकान के मालिक हो चुका है तथा मौजूदा सरकार ने कुछ दिनो पहले जरिये परिपत्र आदेश के पुराने कब्जे को नियमित करने का आदेश दिया उक्त आदेश की पालना मे की जाकर अप्रार्थी के नाम पटटा जारी करने व नोटिस की कार्यवाही ड्रोप करने का निवेदन किया। इस प्रकार संपूर्ण वस्तु स्थिति स्पष्ट होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने जानबूझकर जवाब रेकर्ड पर नही लेने के दुराशय से आदेशिकाओ मे कॉट छॉट कर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित किये जाने मे भारी कानूनी व वाकियाती त्रुटि की है जिससे निर्णय जैर अपील विधि सम्मत नही होकर निरकुश निर्णय की तारीफ मे आने से निरस्तनीय है।

{2}(IV)–अपीलांट को जवाब व साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर जानबूझ कर नही दिया व आनन फानन मे जल्दबाजी मे बिना किसी आधार के निर्णय जैर अपील पारित किया गया है।

{2}(V)–अपीलांट की उक्त रहवासी व बाडे की हस्तगत विवादित जायगा के चारो तरफ रहवासी मकान व बाडे अन्य लोगो के स्थित रहते चले आये है इसके बावजूद अपीलांट को अतिक्रमी होने की मिथ्या रिपोर्ट पटवारी ने पेश की है व सारे तथ्यो की तहसीलदार को जानकारी होते हुए भी मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर बिना किसी प्रकार के बयान लिये, बिना अपीलांट को जिरह का अवसर दिये उसकी पीठ पीछे निर्णय जैर अपील पारित किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा भाकरोद में स्थित गै.मु. मगरा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके भाकरोद के खसरा नंबर 173 रकबा 1.00 बीघा गै.मु. मगरा भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. मगरा है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर